खबरों में रहे स्टॉक

**एमटीएआर टेक्नॉलजीज**

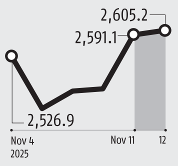

272 करोड़ रुपये का नया विदेशी ऑर्डर मिला

₹ 2,591.1 पिछला बंद भाव
₹ 2,605.2 आज का बंद भाव
0.5 % ▲

**एलऐंडटी टेक्नॉलजी सर्विसेज**

विनिर्माण उद्योग में डिजिटल परिवर्तन के बढ़ावे के लिए ऑटोडेस्क संग साझेदारी

₹ 4,103.7 पिछला बंद भाव
₹ 4,177.5 आज का बंद भाव
1.8 % ▲

**आईटीआई**

केरल सवारी 2.0 की शुरुआत के लिए केरल सरकार से हाथ मिलाया

₹ 316.3 पिछला बंद भाव
₹ 322.1 आज का बंद भाव
1.8 % ▲

**ल्यूपिन**

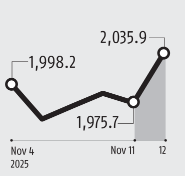

एलएमएस ने विशाखापत्तनम में समर्पित ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का अनावरण किया

₹ 1,975.7 पिछला बंद भाव
₹ 2,035.9 आज का बंद भाव
3.0 % ▲

**नैटको फार्मा**

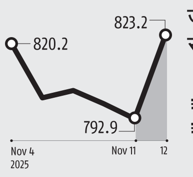

जेएसई से एडकॉक इंग्राम को सफलतापूर्वक हटाया

₹ 792.9 पिछला बंद भाव
₹ 823.2 आज का बंद भाव
3.8 % ▲

## संक्षेप में

### मोजाम्बिक एलएनजी परियोजना पर रोक हटी

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने बुधवार को कहा कि मोजाम्बिक की बड़ी एलएनजी परियोजना पर बिगड़ती सुरक्षा स्थिति जैसी अप्रत्याशित घटना के कारण 53 महीने से लगी रोक समाप्त हो गई है। इसके साथ 21 अरब डॉलर की इस परियोजना पर काम शुरू हो गया है। इस परियोजना में भारतीय कंपनियों की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। *भाषा*

### एम्मार इंडिया गुरुग्राम में लगाएगी 1,600 करोड़ रु

रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी एम्मार इंडिया मजबूत उपभोक्ता मांग के बीच कारोबार का विस्तार करने के लिए गुरुग्राम में लक्जरी आवासीय परियोजना के निर्माण पर करीब 1,600 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी एम्मार प्रॉपर्टीज की भारतीय इकाई एम्मार इंडिया ने बुधवार को गुरुग्राम के सेक्टर-86 में एक प्रीमियम आवासीय परियोजना 'सेरेनिटी हिल्स' का शुभारंभ किया। *भाषा*

# टाटा स्टील के मुनाफे में 272% की उछाल

**बीएस संवाददाता और भाषा**
कोलकाता/मुंबई/नई दिल्ली, 12 नवंबर

टाटा स्टील ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के दौरान समेकित शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर 272 प्रतिशत की उछाल दर्ज की और यह बढ़कर 3,101.75 करोड़ रुपये हो गया। देश में बिक्री की मात्रा में वृद्धि और नियोजित लागत कटौती के कारण यह वृद्धि हुई। एक साल पहले इसी अवधि में इस प्रमुख इस्पात कंपनी का शुद्ध लाभ 833.45 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में समेकित आधार पर कुल राजस्व 58,689.29 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 8.9 प्रतिशत अधिक है। राजस्व और शुद्ध लाभ दोनों ही ब्लूमबर्ग के क्रमशः 55,897.6 करोड़ रुपये और 2,739.6 करोड़ रुपये के अनुमान से अधिक रहे। तिमाही आधार पर राजस्व 10.4 प्रतिशत और शुद्ध लाभ 49.3 प्रतिशत बढ़ा।

टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने इस प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'परिचालन का वैश्विक माहौल लगातार टैरिफ वृद्धि, भू-राजनीतिक तनाव और बढ़े हुए इस्पात निर्यात के कारण चुनौतीपूर्ण बना रहा। इसके बावजूद टाटा स्टील ने लगातार दूसरी तिमाही में एबिटा मार्जिन में सुधार के साथ दमदार प्रदर्शन किया।' उन्होंने कहा, 'भारत में जहां कच्चे इस्पात का उत्पादन आठ प्रतिशत बढ़ा, वहीं आपूर्ति में तिमाही आधार पर 17 प्रतिशत की अधिक दर के साथ वृद्धि हुई क्योंकि हमारी मार्केटिंग फ्रैंचाइजी ने हमें कारगरत तरीके से विस्तार करने में सक्षम बनाया।' टाटा स्टील इंडिया ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 34,787 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 32,660 करोड़ रुपये था। तिमाही के दौरान करोपरांत लाभ 4,215 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह 3,460 करोड़ रुपये था।

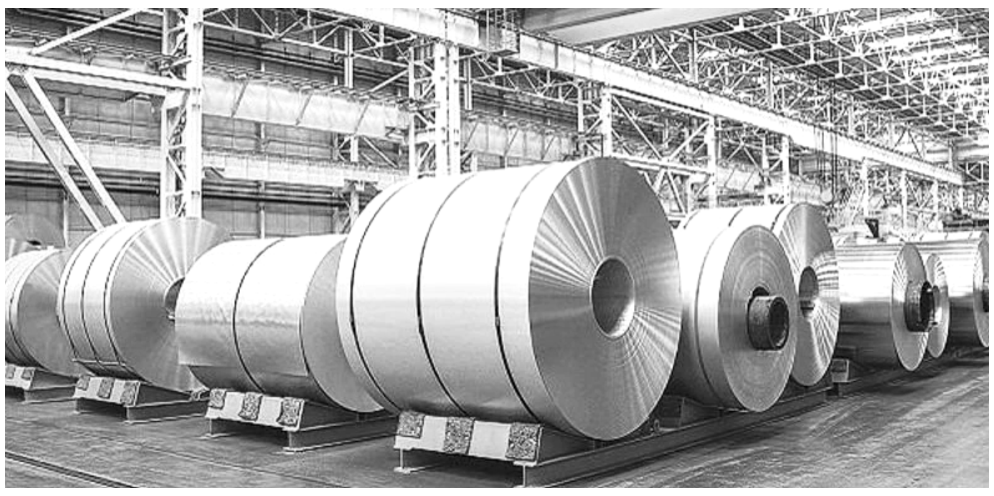

## स्पाइसजेट का शुद्ध घाटा 35.6 फीसदी बढ़ा

**आर्थिक** संकटों का सामना कर रही विमानन कंपनी स्पाइसजेट का चालू वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में शुद्ध घाटा एक साल पहले के मुकाबले 35.6 फीसदी बढ़कर 621.5 करोड़ रुपये हो गया। डॉलर के मुकाबले रुपये में भारी गिरावट, बड़ी संख्या में विमानों के खड़े होने तथा भारत के चारों ओर हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध के कारण कंपनी का घाटा बढ़ा है। स्पाइसजेट के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा, 'प्रतीक्षित रखरखाव के कारण पूरे बेड़े के कुछ हिस्से का परिचालन नहीं होने, हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध तथा डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपये के कारण तिमाही के दौरान कंपनी के परिणाम प्रभावित हुए।'

अजय सिंह बताया कि कंपनी को इस साल सितंबर तिमाही में 49.33 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा घाटा हुआ, जबकि एक साल पहले की इसी तिमाही में 7.44 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। यह घाटा मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव के कारण पट्टा देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन से हुआ। यह दर्शाता है कि इस साल मुद्रा में उतार-चढ़ाव का पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कहीं अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्लेनस्पॉटर्स डॉट नेट के अनुसार, स्पाइसजेट के बेड़े में फिलहाल करीब 65 विमान हैं, जिनमें से 35 खड़े हैं। कंपनी शेष 30 विमानों के जरिये वाणिज्यिक उड़ानें संचालित कर रही है।

### अशोक लीलैंड के शुद्ध लाभ में 7 प्रतिशत की मजबूती

वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली कंपनी अशोक लीलैंड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सात प्रतिशत बढ़कर 820 करोड़ रुपये रहा। लाभ में यह वृद्धि विभिन्न खंडों में मजबूत बिक्री के कारण हुई है। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 767 करोड़ रुपये रहा था। अशोक लीलैंड ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी परिचालन आय एकीकृत आधार पर बढ़कर 12,577 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी अवधि में 11,142 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने कहा कि दूसरी तिमाही में एमएचसीवी (मध्यम एवं भारी वाणिज्यिक वाहन) और एलसीवी (हल्के वाणिज्यिक वाहन) दोनों खंड में सकारात्मक वृद्धि रही।

### एशियन पेंट्स के शुद्ध लाभ में 43 प्रतिशत की उछाल

एशियन पेंट्स के शुद्ध लाभ में सितंबर में समाप्त तिमाही के दौरान 43 प्रतिशत का इजाफा हुआ। देश की सबसे बड़ी पेंट निर्माता कंपनी का लाभ बढ़कर 993.6 करोड़ रुपये हो गया और इसके सजावटी पेंट कारोबार (भारत) का वॉल्यूम 10.9 प्रतिशत बढ़ा। राजस्व में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तिमाही के दौरान कंपनी की शुद्ध बिक्री 8,531.3 करोड़ रुपये रही और इसमें 6.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कंपनी ने कहा कि सितंबर में दो अंकों में वॉल्यूम वृद्धि और मूल्य में इजाफे के साथ उसके देसी सजावटी कारोबार में सुधार हुआ है। उसके अंतरराष्ट्रीय कारोबार में वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के दौरान बिक्री 9.9 प्रतिशत तक बढ़कर 846.0 करोड़ रुपये हो गई। स्थिर मुद्रा के लिहाज से बिक्री में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एशियन पेंट्स ने शेयर बाजार को दी एक अलग सूचना में बताया कि बुधवार को हुई उसके निदेशक मंडल की बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए एक रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 4.50 रुपये के अंतरिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी दी गई।

### शालीमार पेंट्स का एकीकृत घाटा घटकर 14 करोड़ रु रहा

शालीमार पेंट्स लिमिटेड ने बुधवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध घाटा घटकर 13.93 करोड़ रुपये रह गया। शालीमार पेंट्स ने एक्सचेंज को एक नियामकीय सूचना में बताया कि कंपनी ने एक साल पहले जुलाई-सितंबर की अवधि में 19.37 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व एक साल पहले के 144.74 करोड़ रुपये से घटकर समीक्षाधीन अवधि में 133.81 करोड़ रुपये रह गया। कुल व्यय 151.26 करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल 8.7 प्रतिशत कम है। कुल आय, जिसमें अन्य आय भी शामिल है, 137.12 करोड़ रुपये रही, जो साल-दर-साल 6.16 प्रतिशत कम है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल एकीकृत राजस्व 6.5 प्रतिशत बढ़कर 293.24 करोड़ रुपये हो गया।

### आईआरबी इन्फ्रा डेवलपर्स के लाभ में 41 प्रतिशत की तेजी

आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स (आईआरबी इन्फ्रा) ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ में 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और यह बढ़कर 140 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के टोल राजस्व में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कंपनी और उसके निजी इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट) संयुक्त उद्यम आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का कुल टोल राजस्व इस तिमाही के दौरान 1,667 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह राजस्व 1,503 करोड़ रुपये था। आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक वीरेंद्र म्हैस्कर ने कहा, 'वर्ष की पहली छमाही, विशेष रूप से दूसरी तिमाही ने कठिन और लंबे समय तक रहे मॉनसून के बावजूद टोल राजस्व वृद्धि में जोरदार रफ्तार का प्रदर्शन किया। इससे हमारा विश्वास और मजबूत होता है कि आने वाली तिमाहियों में समेकन की लगातार रफ्तार से वृद्धि में और तेजी आएगी।'

### रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर का मुनाफा 50 प्रतिशत फिसला

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर का जुलाई-सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 50 प्रतिशत घटकर 1911.19 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल समान अवधि में उसका मुनाफा 4,082.53 करोड़ रुपये था। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कंपनी की कुल आय जुलाई-सितंबर 2025 में सालाना आधार पर 7,345.96 करोड़ रुपये से घटकर 6,309.48 करोड़ रुपये रह गई। व्यय भी घटकर 5,991.49 करोड़ रुपये रह गया जो एक साल पहले इसी अवधि में 6,450.38 करोड़ रुपये था। कंपनी ने अलग से बयान में बताया कि उसके ' निदेशक मंडल ने वृद्धि की वित्तीय सहायता के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (एफसीसीबी) जारी कर 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए शेयरधारकों से सक्षम समाधान प्राप्त करने को मंजूरी दे दी है' कंपनी की एकीकृत निवल संपत्ति 30 सितंबर 2025 तक बढ़कर 16,921 करोड़ रुपये हो गई, जो 30 जून 2025 तक के 14,855 करोड़ रुपये से 14 प्रतिशत अधिक है।

### एमएसटीसी के शुद्ध मुनाफे में 12 प्रतिशत का इजाफा

सार्वजनिक क्षेत्र की एमएसटीसी का सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 12 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 47.49 करोड़ रुपये हो गया।

## बढ़ती मांग से गूगल का एआई हब में निवेश

**आशिष आर्यन**
नई दिल्ली, 12 नवंबर

**गूगल** क्लाउड में ग्लोबल रेवेन्यू के अध्यक्ष मैट रेनर का कहना है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) डेटा हब स्थापित करने में गूगल का 15 अरब डॉलर का निवेश ग्राहकों की मांग में अपेक्षित वृद्धि का परिणाम है। बुधवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेनर ने कहा, 'भारत में कंपनियों, खासकर बी2बी (बिजनेस-टू-बिजनेस) और यहां तक कि बी2सी (बिजनेस-टू-कंज्यूमर) क्षेत्र में एआई को लेकर मांग तेजी से बढ़ी है। हम भारत में ग्राहकों से बहुत व्यापक और विविध मांग देख रहे हैं और अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।'

## नेविल टाटा की नियुक्ति उत्तराधिकार का संकेत

**देव चटर्जी**
मुंबई, 12 नवंबर

**नेविल** टाटा को अक्सर सुबह-सुबह ट्रेंट हाइपरमार्केट के गोदामों में टाटा के स्वामित्व वाले स्टोरों की अलमारियों तक पहुंचने वाले फलों और सब्जियों की गुणवत्ता को जांचते देखा जा सकता है। नेविल टाटा दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नए ट्रस्टी और नोएल टाटा परिवार के वंशज हैं। टाटा ट्रस्ट में नेविल को शामिल करना परिवार की उत्तराधिकार योजना में एक स्पष्ट कदम है, लेकिन टाटा के अंदरूनी हलकों में यह स्पष्ट है कि उन्हें अपने पिता नोएल टाटा की विनम्रता और साधारण स्वभाव के लिए जाना जाता है। मंगलवार को टाटा ट्रस्ट के बोर्ड के समक्ष नेविल के नाम का प्रस्ताव रखते हुए रतन टाटा के एक अनुभवी वकील और विश्वासपात्र, डैरियस खंबाटा ने याद दिलाया कि किस तरह से टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रतन टाटा ने नेविल को भविष्य के नेता के रूप में तैयार करने का इरादा जताया था। उनकी नियुक्ति को अन्य ट्रस्टियों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। टाटा ट्रस्ट की टाटा संस में बड़ी हिस्सेदारी है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नेविल के जनवरी में सर रतन टाटा ट्रस्ट में शामिल होने की उम्मीद है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ट्रेंट की हाइपरमार्केट शाखा 'ट्रेंट हाइपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड' के बिजनेस हेड के रूप में नेविल टाटा यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहकों को उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलें जो टाटा के मानकों का पालन करते हैं। 'स्टार' ब्रांड के तहत सुपरमार्केट की एक श्रृंखला संचालित करने वाली ट्रेंट ने भारत के खुदरा बाजार में एक अलग पहचान बनाई है।

## मेडिकाबाजार की नजर 40% इजाफे पर

**देश** के सबसे बड़े मेडटेक और बी2बी स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र के आपूर्ति प्लेटफॉर्म में शुमार मेडिकाबाजार, जो बोर्डरूम के बड़े संघर्ष में उलझा हुआ है, अगले दो से तीन वर्षों में 40 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य के साथ कारोबार की कायापलट योजना तैयार कर रहा है। कंपनी पहले ही मुनाफे में लौट चुकी है। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में राजस्व सालाना आधार पर 80 प्रतिशत तक बढ़कर 580 करोड़ रुपये हो गया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एबिटा धनात्मक रहा। पिछले वित्त वर्ष में मेडिकाबाजार ने 150 करोड़ रुपये के घाटे के साथ 1,670 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया था और इस वित्त वर्ष में इसका लक्ष्य 25 करोड़ रुपये के एबिटा के साथ 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त करना है। *बीएस*

---

MANAPPURAM HOME FINANCE LTD.

**मणप्पुरम होम फाइनैंस लिमिटेड**
**पूर्व में मणप्पुरम होम फाइनैंस प्रा. लि.**
CIN: U65923KL2010PIC039179, यूनिट नं. 301 - 315, तीसरी मंजिल, ए विंग, कनकिया वॉल स्ट्रीट, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400093

**मांग नोटिस**

जबकि, अधिकृत अधिकारी, मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय IV/470ए (पुराना) W/638ए (नया), मणप्पुरम हाउस, वलपड, त्रिशूर, केरल-680567 में है और भारत में विभिन्न स्थानों पर शाखाएँ हैं (यहां आगे "MAHOFIN" कहा गया है) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है और भारत सरकार, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी 18 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3466 (ई) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (एम) के उप-खंड (iv) के अर्थानुसार एक वित्तीय संस्थान है (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और आवास इकाइयों के निर्माण और/या खरीद के लिए ऋण देने के व्यवसाय में संलग्न है और जबकि, नीचे उल्लिखित चार्ट के कॉलम संख्या 2 में कर्जदार/सह-कर्जदारों ने MAHOFIN से ऋण प्राप्त किया है और चूंकि MAHOFIN सरफासी अधिनियम के तहत प्रत्याभूत लेनदार है, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को उस पर आगे के ब्याज के साथ चुकने के लिए मांग नोटिस जारी किया, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस नहीं दिया जा सका। इसके अतिरिक्त, नीचे सूचीबद्ध उक्त कर्जदारों की जानकारी के प्रयोजनों के लिए उक्त कर्जदारों को इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

| क्र सं | कर्जदार/सह-कर्जदार के नाम/एलएएन/शाखा | प्रत्याभूत परिसंपत्ति जिसके लिए हित किया गया है, का विवरण | एनपीए की तिथि | भेजे गए नोटिस की तिथि एवं बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रामरेखा, माधुरी ओझा, रवि ओझा/ NHL01000041029/ ग्वालियर | सर्वे सं. 609 पीएच 20 खदियाहार, प्लॉट का क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट, खदियाहार चौराहा के निकट, मोरेना, डाकघर खदियाहार, मोरेना, मध्य प्रदेश, पिनः 476554. पूर्व-विक्रेता की भूमि, पश्चिम-मखमल बेगम का प्लॉट, दक्षिण-कपूर खान की भूमि, उत्तर-आम रास्ता | 14-10-2025 | 18-10-2025 एवं रु. 727532/- |

अतेव, ऊपर उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर संबंधित कर्जदार/सह-कर्जदार के विरुद्ध ऊपर दर्शाई गई कुल बकाया राशि का भुगतान करने का आह्वान किया जाता है। संबंधित कर्जदार/सह-कर्जदारों द्वारा कुल बकाया राशि के साथ आगे की ब्याज का भुगतान करने में विफल होने पर MAHOFIN उपर्युक्त वर्णित संपत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तन हेतु धारा 13(4) के तहत कार्रवाई हेतु बाध्य है, अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित अन्य तरीकों से नोटिस की तामील के लिए भी कदम ऊठाये जा रह हैं। आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि सार्वजनिक नीलामी या निजी ट्रीटी, बिक्री द्वारा हस्तांतरण के लिए सरफासी अधिनियम की धारा 13(8) में यथाविवरणानुसार, नोटिस प्रकाशन की तारीख से पूर्व किसी भी समय समस्त बकाया राशि का लागतों, प्रभारों और MAHOFIN द्वारा वहन व्ययों के भुगतान पर उक्त बंधन संपत्ति को मुक्त कराया जा सकता है।

यह भी संज्ञान लें कि एतदद्वारा सरफासी की धारा 13 (13) के अनुसार आप प्रत्याभूत संपत्तियों का बिक्री, पट्टे या अन्य किसी भी तरीके से हस्तांतरण और/या लेनदेन करने से निषिद्ध हैं।

तारीखः 13/11/2025, स्थानः म प्र — हस्ता/- अधिकृत अधिकारी - मणप्पुरम होम फाइनैंस लि.

---

IndiaShelter Home Loans

**इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** **कब्जा सूचना**

**पंजीकृत कार्यालय :** प्लॉट–15, छठवाँ तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002
**शाखा कार्यालय : देवास, धार**

**जबकि, अधोहस्ताक्षरी, इंडिया शेल्टर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) सहपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाते के समक्ष उल्लिखित तिथि को एक मांग नोटिस जारी करते हैं, जिसमें उधारकर्ता और संपत्ति के स्वामी/जमानतदार को उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि वापस करने का आह्वान किया गया है। चूंकि संपत्ति का मालिक और अन्य राशि चुकाने में असफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों का प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा ले लिया है। अब, विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपत्ति/संपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन न करें और इस संपत्ति/संपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के लिए भारित होगा।**

| क्र. सं. | उधारकर्ता/गारंटर (संपत्ति के स्वामी) का नाम और ऋण खाता सं. | भारित/बंधक संपत्ति का विवरण (संपत्ति के सभी भाग जिसमें शामिल हैं) | माँग सूचना की तिथि, माँग सूचना की तिथि तक देय राशि | कब्जा की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **श्रीमान/श्रीमती आशा बाई**<br>**श्रीमान/श्रीमती भगवती प्रसाद**<br>**निवास स्थानः** मकान संख्या 213, पुष्पकुंज कॉलोनी, इटावा, जिला देवास 455001, मध्य प्रदेश<br>**(ऋण खाता संख्या :– HL45CHLONS000005084812)** | पीएच. नं. 19 (नया 42) वार्ड संख्या 7 (सरल संख्या 326, नया 332) का पूरा टुकड़ा, पुष्पकुंज कॉलोनी भूमि सर्वेक्षण संख्या 66, पैकी गाँव–इटावा, तहसील जिला देवास 455001, मध्य प्रदेश। कुल क्षेत्रफलः 825 वर्ग फुट। सीमा :– (स्वामित्व विलेख के अनुसार) पूर्व– जैन साहब का प्लॉट, पश्चिम– रोड, उत्तर– मनोहर की जमीन, दक्षिण– लोधी जी का मकान। | **मांग सूचना 11–दिसंबर–2024 रु. 6,97,570/– (रुपये छह लाख सत्तानबे हजार पाँच सौ सत्तर मात्र) 10–दिसंबर–2024 तक देय** 11–दिसंबर–2024 से लागू अतिरिक्त ब्याज, साथ ही पूर्ण भुगतान होने तक सभी लागत, शुल्क और व्यय। | 10.11.2025 |
| 2. | **श्रीमान/श्रीमती कविता,**<br>**श्रीमान/श्रीमती सुभाष मावी**<br>**निवास स्थान :** कुंडा लुन्हेरा धार तहसील पीथमपुर जिला धार 454010, मध्य प्रदेश<br>**(ऋण खाता संख्या : HLDHRNLONS000005092869)** | प्लॉट संख्या 20 का पूरा टुकड़ा वार्ड क्रमांक 11, पीएच क्रमांक 71, ग्राम कुंडा, पंचायत लुन्हेरा, पीएच क्रमांक 71, तह. पीथमपुर, जिला धार 454010, मध्य प्रदेश। कुल क्षेत्रफलः 4059 वर्ग फुट। सीमाः– (वास्तविक स्थल के अनुसार) पूर्वः कृषि भूमि (नंदराम), पश्चिमः श्री देवचंद की स्वयं की भूमि फिर अन्य भूमि, उत्तरः सड़क, दक्षिणः कृषि भूमि (भेरू) (स्वामित्व विलेख के अनुसार) पूर्वः नंद. राम चेना की कृषि भूमि, पश्चिमः अंतर देवचंद का बाड़ा, उत्तरः सड़क, दक्षिणः भेरूजी की कृषि भूमि। | मांग सूचना 12–फरवरी–2025 रु. 9,00,028/– (रुपये नौ लाख अट्ठाईस मात्र) 10–02–2025 तक देय 11–02–2025 से लागू अतिरिक्त ब्याज, साथ ही पूर्ण भुगतान होने तक सभी लागत, शुल्क और व्यय। | 11.11.2025 |

**स्थान : देवास, धार / दिनाँक : 13–11–2025** — **कृते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)**

**किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री संजय सिंह राठौड़- (91 9993460061) तथा श्री नीरज शर्मा- (7898786717) से संपर्क करें।**

---

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

**परिशिष्ट–IV-A अचल संपत्ति/यों हेतु ई–नीलामी सार्वजनिक बिक्री सूचना**
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के सहपठित नियम 8(6) के प्रावधान के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय ई–नीलामी सूचना
पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–23357171, 23357172, 23705414,, वेबसाइट :
**शाखा कार्यालय इंदौर : भूतल, प्लॉट सं. 02, ग्रेटर वैशाली कॉलोनी, गोपुर चौराहा, इंदौर– 452009, मध्य प्रदेश**
**शाखा कार्यालय भोपाल : दूसरा तल, 131/8, मैन रोड, जोन–2, एम पी नगर, झुमरवाला के पास, भोपाल– 462011, मध्य प्रदेश**

एतद्द्वारा आम तौर पर जनता को और विशेष रूप से कॉलम नंबर–ए में इंगित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्न वर्णित अचल संपत्ति(यों) जो कॉलम नंबर–डी में वर्णित है प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक/प्रभारित हैं, जिसमें से रचनात्मक/भौतिक कब्जा (जैसा कि कॉलम नंबर–सी में वर्णित है) को मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल)/प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जो जहां है, जो है जैसा है, और वहां जो कुछ भी है आधार''** पर निम्न उल्लेखित विवरण के अनुसार बेचा जाएगा। एतद्द्वारा संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(ओं), प्रशासक(ओं), उत्तराधिकारी(ओं), संपत्तिभागि(यों) को सूचना दी जाती है चूंकि इस मामले को आज की दिनांक में संशोधित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियमों के नियम–8(6) और 9 के तहत कॉलम संख्या–ए में दर्शाया जा सकता है। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड / प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट यानी www.pnbhousing.com** में दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

| ऋण सं./उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम (A) | मांग राशि और दिनांक (B) | कब्जे का प्रकार (C) | बंधक संपत्तियों का विवरण (D) | आरक्षित मूल्य (आरपी) (E) | ईएमडी (आरपी का 10%) (F) | बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक (G) | बोली वृद्धि मूल्य (H) | निरीक्षण की दिनांक और समय (I) | नीलामी की दिनांक और समय (J) | ज्ञात ऋण भार/न्यायालय मुकदमा अगर कोई है (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU/BHO/0117/348528 और NHL/BHO/0317/368861 सुदामा मल सुंदरानी/कंचन सुंदरानी, शाखा : भोपाल | रूपये 26,24,813.4 दिनांक 18.04.2022 | भौतिक कब्जा | फ्लैट सं. 102, शंकर अपार्टमेंट, वार्ड सं. 11, विदिशा मध्य प्रदेश–462003, भारत | रु. 13,07,000/– | रु. 1,30,700/– | 27.11.2025 | रु. 10,000/– | 14.11.2025 दोप 12:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे | 28.11.2025 पूर्वाह्न 02:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे | ज्ञात नहीं |
| HOU/IND/0624/1275305 सुमासंजीवन/स्नेहा संजीवन शाखा : भोपाल | रूपये 1931530.2 दि.15.01.2025 | भौतिक कब्जा | प्लॉट 106, ड्रीम हाऊस स्वास्तिक, ग्राम बड़ौदिया एमा, तहसील सांवेर, जिला इंदौर 80/1/2 80/2/1, 76/2, इंदौर, मध्य प्रदेश–452001, भारत | रु. 20,09,000/– | रु. 2,00,900/– | 27.11.2025 | रु. 10,000/– | 24.11.2025 दोप 12:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे | 28.11.2025 पूर्वाह्न 02:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे | ज्ञात नहीं |
| HOU/BHO/0816/309175 बिकी सिंह/मोनिका लश्करी शाखा : भोपाल | रूपये 674248.24 दिनांक 30.05.2023 | भौतिक कब्जा | ब्लॉक ई (एलआईजी), एनए,1, हिमांशु मेगा सिटी, वार्ड सं. 17, क्र. सं. 546/2/2, स्टेशन रोड, मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, स्टेशन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश–462001, भारत<br>ब्लॉक डी, एनए, 41, हिमांशु मेगा सिटी, वार्ड सं. 17, क्र. सं. 546/2/2, स्टेशन रोड, मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, स्टेशन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश–462001, भारत | रु. 3,15,000/–<br>रु. 3,15,000/– | रु. 31,500/–<br>रु. 31,500/– | 27.11.2025 | रु. 10,000/–<br>रु. 10,000/– | 25.11.2025 दोप 12:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे | 28.11.2025 पूर्वाह्न 02:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे | ज्ञात नहीं |
| NHL/BHO/0518/533344 और NHL/BHO/0723/1133007 पूनित माथुर अलका माथुर/मेघा सक्सेना, शाखा : भोपाल | रूपये 5674858 दिनांक 14.12.2023 | भौतिक कब्जा | वार्ड सं. 09 नया वार्ड सं. 24, कागदीपुरा, भाटेश्वर महादेव मंदिर के पीछे, जिला विदिशा, म.प्र. कागदीपुरा, विदिशा, मध्य प्रदेश–464001, विदिशा, भारत | रु. 32,32,000/– | रु. 3,23,200/– | 27.11.2025 | रु. 10,000/– | 14.11.2025 दोप 12:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे | 28.11.2025 पूर्वाह्न 02:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे | ज्ञात नहीं |
| NHL/IND/0718/554801 और NHL/IND/0518/536428 अर्पिल कोठारी/प्रांजल जैन कोठारी, शाखा : इंदौर | रूपये 14567627.4 दिनांक 21.04.2023 | भौतिक कब्जा | फ्लैट सं. 201, दूसरा तल, पालिका मकान सं. 17/2, और, 17/3, पुराना सं. 17, श्री पद्मावति कॉम्प्लेक्स, खजूरी बाजार, राजवाड़ा, इंदौर, मध्य प्रदेश– 452001, भारत | रु. 43,56,000/– | रु. 4,35,600/– | 27.11.2025 | रु. 10,000/– | 25.11.2025 दोप 12:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे | 28.11.2025 पूर्वाह्न 02:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे | ज्ञात नहीं |

***आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि भुगतान की दिनांक तक खर्च किए और/या वसूली के रूप में एक साथ लागू @18% वार्षिक भविष्य के ब्याज के साथ** पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सूचना में ऊपर वर्णित अचल/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई अन्य भार/दावा नहीं है, केवल कॉलम नंबर–के में उद्घाटित को छोड़कर। इसके अलावा सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपने द्वारा इस प्रकार की भार ओं को पूरा/भुगतान किया जाना चाहिए। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे उल्लेखित भार की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं।**

**(1)** आज की दिनांक में, पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उरोक्त अचल संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को बेचने, विमुख करने और/या निपटाने से कोई आदेश निरोधक और/या न्यायालय निषेधाज्ञा नहीं है। **(2)** संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में सिफारिश का निरीक्षण कर सकते हैं। यदि कोई हो, कॉलम नं. के में वर्णित है। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध दस्तावेजों के शीर्षक के शीर्षक तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव(ओं) बनाने से पहले सभी मामलों में खुद की संतुष्टि कर लें। बोली लगाने वाले को बोली फॉर्म के साथ–साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। **(3)** कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के संदर्भ में, बोलीदाता(ओं)/क्रेता कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (बयाना पैसे शामिल है, यदि कोई हो, जमा) एक ही दिन या अगले कार्य दिवस से बाद में नहीं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रत्याभूत ऋणदाता द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोलीदाता(ओं) के पक्ष में बिक्री कीपुष्टि की जा सकती है। बिक्री राशि का शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की दिनांक से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा जमा किया जाना है और इस जमा के चूक में, संपत्ति/प्रत्याभूत परिसंपत्ति कीफिर से बेचा जाएगा। **(4) मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री करने में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा। जिसका कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट सं.68, तीसरा तल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003, वेब साइट–www.bankeautions.com संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने या किसी अन्य जानकारी या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, आपको पीएनबीएचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी श्री राजीव चंद्रा से टोल फ्री नं. 1800 120 8800, के साथ समन्वय करना होगा या www.pnbhousing.com का संदर्भ लेना होगा।**

**स्थान : मध्य प्रदेश, दिनांक : 13.11.2025** — **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

---

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22 के.जी. मार्ग,नई दिल्ली–110001 दूरभाष : 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
**शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. 103, प्रथम तल, स्मार्ट ट्रेड, भोज मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन– 456001, मध्य प्रदेश**
**वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित आज की दिनांक में संशोधित के तहत सूचना**

**हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद ''पीएनबीएचएफएल'' के रूप में संदर्भित) ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) के अध्याय III की धारा 13(2) के तहत हमारी उज्जैन शाखा कार्यालय स्थित शाखा कार्यालय :शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. 103, प्रथम तल, स्मार्ट ट्रेड, भोज मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन– 456001, मध्य प्रदेश** द्वारा मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से आप सभी को नीचे उल्लेखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटरों को जारी कि गई थी, क्यों कि आपके खाते को किश्तों/ब्याज का भुगतान न करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/नेशनल हाउसिंग बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका विषय आपके द्वारा मूलधन की किश्तों, ब्याज आदि के भुगतान में की गई चूक है। बकाया राशि नीचे बताई गई है। इसके अलावा कारण, हम मानते हैं कि आप मांग सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) की मांग सूचना का यह प्रकाशन की भी आवश्यकता है। एतद् द्वारा आपको इस मांग सूचना के प्रकाशन की दिनांक के 60 दिनों की अवधि के भीतर उपरोक्त राशि को अब तक के ब्याज और शुल्कों के साथ, पीएनबीएचएफएल का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न होने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सभी या किसी भी प्रावधान के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिसमें उधारकर्ताओं और गारंटरों की सभी या किसी भी एक या उससे अधिक प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा करना शामिल है।

आपका ध्यान पूरी तरह से वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है, जहां आप सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रत्याभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन की दिनांक तक, सार्वजनिक या निजी संधि से कोटेशन, निविदा आमंत्रित करके पीएनबी एचएफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बकाया राशि की पूरी राशि का भुगतान कर सकते हैं। कृपया । यह भी ध्यान दें कि यदी पीएनबीएचएफएल द्वारा किए गए लागत, शुल्क और खर्चों के साथ बकाया राशि की पूरी राशि सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रत्याभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन से पहले निविदा कोटेशन आमंत्रित करके, सार्वजनिक या निजी संधि द्वारा निविदा नहीं दी जाती है, तो आप उसके बाद प्रत्याभूत परिसंपत्ति(ओं) को छुड़ाने के हकदार नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत या तो बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से उपरोक्त के माध्यम से प्रवर्तित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

| ऋण खाता संख्या (ओं)/शाखा | उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता का नाम/पता | गारंटर का नाम और पता | बंधक संपत्ति/यों | मांग सूचना दिनांक | मांग सूचना की दिनांक अनुसार बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOU/UJJ/ 0824/ 1295464 शाखा : उज्जैन** | **श्री/सुश्री राहुल गिरी और श्री/सुश्री करिश्मा गोस्वामी, पता–1** 2, 36कतर न्यू, देसाई नगर, हवेली, उज्जैन, मध्य प्रदेश–456001, **पता 2– ट्रूकेप फाइनेंस लिमिटेड,** 37 अमर सिंह मार्ग सीएसबी बैंक के पास, फ्रीगंज, **उज्जैन, मध्य प्रदेश–456010, पता–3,**517 वार्ड सं. 18,स्कूल के पास हरिजन मोहल्ला, अभायापुरा, **शाजापुर, मध्यप्रदेश– 465001** | एनए | प्लॉट सं. 553, विनायक ग्रीन सिटी, फैज 2, कॉलोनी, ग्राम सुरासा, तहसील घटिया, उज्जैन, मध्य प्रदेश – 465001 | 07 नवंबर, 2025 | **रु.26,70,250.19/– (रुपये छब्बीस लाख सत्तर हजार दो सौ पचास और उन्नीस पैसा मात्र)** |

**स्थान : उज्जैन, दिनांक : 12.11.2025** — **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

**भोपाल संस्करण :** बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा दैनिक भास्कर, प्लॉट नं. 10 व 11, सेक्टर बी, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल, म. प्र. 462023 से मुद्रित एवं सी/ओ अशोक कुमार जैन, शॉप नं. 1, पटेल मार्केट, संगम टॉकीज के समीप, भोपाल- 462001 से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल\ आरएनआई नं. MPHIN/2008/24603 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं।
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं